13/11/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। बहस प्रा.पत्र 07R11 जा.दी. सुनी जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी। प्रतिवादी ने प्रा.पत्र मे वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त खाते ग्रामे को प्रतिवादी सं. 02 व 03 द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22/02/13 व दिनांक 15/02/23 से क्रय किया गया है जिनको निरस्त कराये बिना वादी धोखात्मक राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने की राहत का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालयों को है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 के नाम दर्ज रिकार्ड व आधिपत्य भी उनका ही है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में व मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया। जिसके विपरीत अधिवक्ता वादी अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जो तथाकथित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11/02/13 व 15/02/23 से क्रय करना बताया है उक्त विक्रय पत्र यदि कोई व्यक्ति अपने हक के बिना गलत इन्द्राज के आधार पर आई हुई सम्पत्ति को बेचान करता है ऐसा दस्तावेज चाहे वह पंजीकृत प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होगा है ऐसे दस्तावेज को निरस्त कराए बिना राजस्व न्यायालय में भूमि में हक व हिस्सा तय कर सकता है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है इसलिए कब्जे वाली की राहत मांगना कतई आवश्यक नहीं होने से वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं होकर आपके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से चलने योग्य है। (बीनू देवान) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन कर उभयपक्ष को बहस पर चिन्तन व मनन किया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर आया है कि प्रतिवादीगण पंजीकृत विक्रय पत्र से काबिज होकर स्वामित्व व खातेदार है जिससे विक्रयपत्र निरस्त कराये बिना यह वाद चलने योग्य नही है और विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम खाते मे अंकित है। ऐसी अवस्था मे पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अंकित हुए नाम दस्तावेज विक्रय पत्र निरस्त कराये बिना रेकार्ड मे परिवर्तन नही हो सकता है। ऐसी सूरत मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी चलने योग्य नही है।	(दीनू [illegible]) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 R 11 जा. डी. सपठित धारा 151 जा.डी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है तदनुसार डिग्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को लिखाया जाकर सुनाया गया। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)